भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 183**

उत्तर देने की तारीख 20 जुलाई, 2026

सोमवार, 29 आषाढ़, 1948 (शक)

**उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना की स्थिति**

**183. श्री रामभुआल निषाद:**

**क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत खोले गए प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या कितनी है, पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रमों और शामिल किए गए प्रशिक्षण भागीदारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश, विशेषकर सुल्तानपुर जिले में इन प्रशिक्षण केंद्रों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में पीएमकेवीवाई के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और प्रशिक्षित किए गए लाभार्थियों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं की भर्ती को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में उद्योगों, व्यापार संगठनों या निजी कंपनियों के साथ कोई भागीदारी की है; और

(ड.) यदि हां, तो ऐसे उद्योग संबंध स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

**(क)** प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का वर्तमान संस्करण अर्थात् पीएमकेवीवाई 4.0 एक मांग-आधारित योजना है और इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्रों को संबंधित जिले की कौशल आवश्यकता के आधार पर संबद्धता और मान्यता प्रदान की जाती है। पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में 2,664 प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा परियोजना-आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिनमें से 30 जून 2026 तक 63 प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 5,74,931 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और 4,12,151 अभ्यर्थियों को प्रमाणित किया गया है। पाठ्यक्रमों का जॉब-रोल-वार विवरण और प्रशिक्षण भागीदार-वार विवरण क्रमशः **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** में दिया गया है। चूंकि उपर्युक्त **अनुबंध-II** में दिए गए विवरण

अत्यधिक विस्तृत हैं, इसलिए इसे मंत्रालय की वेबसाइट https://www.msde.gov.in/documents?page=1 पर उपलब्ध कराया गया है।

**(ख)** उत्तर प्रदेश राज्य में पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्रों का जिलावार वितरण **अनुबंध-III** में दिया गया है। चूंकि उपर्युक्त **अनुबंध-III** में दिए गए विवरण अत्यधिक विस्तृत हैं, इसलिए इसे मंत्रालय की वेबसाइट https://www.msde.gov.in/documents?page=1. पर उपलब्ध कराया गया है। पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 2,664 प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा परियोजना-आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिसमें सुल्तानपुर जिले के 19 प्रशिक्षण केंद्र भी शामिल हैं। 30 जून 2026 तक पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण संचालित कर रहे 63 प्रशिक्षण केंद्रों में से सुल्तानपुर जिले में पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत कोई प्रशिक्षण संचालित नहीं हो रहा है।

**(ग)** पीएमकेवीवाई 4.0 एक मांग-आधारित योजना है और योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि आवंटित करने का कोई प्रावधान नहीं है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत वितरित निधियों तथा वर्ष-वार प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

| **वित्तीय-वर्ष** | **प्रशिक्षित/उन्मुख** | **प्रमाणित** | **संवितरण (करोड़ रुपए में)** |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 71,771 | 34,674 | 79.06 |
| 2024-25 | 4,63,503 | 3,10,480 | 352.64 |
| 2025-26 | 28,823 | 63,747 | 64.90 |
| 2026-27 (30 जून 2026 तक) | 10,834 | 3,250 | 5.52 |
| **कुल** | **5,74,931** | **4,12,151** | **502.12** |

**टिप्पणी:** वर्ष-वार लाभार्थियों की संख्या पीएमकेवीवाई 4.0 से संबंधित है। जिलावार निधि वितरण का विवरण **अनुबंध-IV** में दिया गया है। चूंकि उपर्युक्त **अनुबंध-IV** में दिए गए विवरण अत्यधिक विस्तृत हैं, इसलिए इसे मंत्रालय की वेबसाइट https://www.msde.gov.in/documents?page=1 पर उपलब्ध कराया गया है।

**(घ) और (ङ)** वर्तमान में, पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत उद्योग और निजी क्षेत्र की संस्थाओं के साथ छह समझौता ज्ञापन (एमओयू) प्रभावी हैं। इन समझौता ज्ञापनों पर राष्ट्रीय स्तर पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इनमें उत्तर प्रदेश राज्य सहित देशभर के विभिन्न स्थान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने और प्रमाणित अभ्यर्थियों के लिए रोजगार के अवसरों को सुगम बनाने हेतु उपलब्ध अवसंरचना के साझा उपयोग तथा पात्र उद्योगों, उद्योग संघों और लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) को प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित करके निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुदृढ़ किया जा रहा है।

**अनुबंध-I**

**दिनांक 20.07.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 183 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।**

**उत्तर प्रदेश राज्य में पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत सेक्टर-वार पाठ्यक्रम/जॉब रोल**

(30 जून 2026 तक)

| सेक्टर | पाठ्यक्रम/जॉब रोल |
|---|---|
| कृषि | डेयरी किसान/उद्यमी; किसान ड्रोन ऑपरेटर; सोलर पंप टेक्नीशियन; माइक्रो-इरीगेशन टेक्नीशियन |
| कपड़े | स्व-रोज़गार दर्जी; सिलाई मशीन ऑपरेटर; हाथ से कढ़ाई करने वाला; फिनिशर और पैकर |
| ऑटोमोटिव | इलेक्ट्रिक वाहन सर्विस टेक्नीशियन; फोर-व्हीलर सर्विस टेक्नीशियन; ऑटोमोटिव असेंबली टेक्नीशियन |
| ब्यूटी और वेलनेस | ब्यूटी थेरेपिस्ट; प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट; हेयर ड्रेसर और स्टाइलिस्ट; योग प्रशिक्षक |
| निर्माण | सहायक इलेक्ट्रीशियन; मेसन (टाइलिंग); शटरिंग कारपेंटर; बार बेंडर और स्टील फिक्सर |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर | इलेक्ट्रीशियन; सोलर एलईडी टेक्नीशियन; सीसीटीवी इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन; ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन; फील्ड टेक्नीशियन |
| ग्रीन जॉब्स | सोलर पीवी इंस्टॉलर (सूर्यमित्र); ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट टेक्नीशियन; रूफटॉप सोलर ग्रिड इंजीनियर |
| हस्तशिल्प और कालीन | पारंपरिक हाथ से कढ़ाई करने वाला; कालीन बुनकर; जूट उत्पाद सिलाई ऑपरेटर; लकड़ी के खिलौने बनाने वाला |
| स्वास्थ्य सेवा | जनरल ड्यूटी असिस्टेंट; इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन-बेसिक; टेलीहेल्थ सर्विस कोऑर्डिनेटर; बुजुर्गों की देखभाल करने वाला |
| आईटी/आईटीज़ | एआई-डेटा इंजीनियर; एआई-मशीन लर्निंग इंजीनियर; जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर; वेब डेवलपर; डेटा एंट्री ऑपरेटर |
| लॉजिस्टिक्स | वेयरहाउस सुपरवाइजर; कूरियर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव; ई-कॉमर्स माइक्रो एंटरप्रेन्योर; सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव |
| मीडिया और मनोरंजन | एनिमेटर; ग्राफिक डिजाइनर; सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव; एआर-वीआर डेवलपर; स्टिल फोटोग्राफर |
| पावर | इलेक्ट्रीशियन-घरेलू समाधान; जूनियर इंजीनियर-बिजली वितरण; उपभोक्ता ऊर्जा मीटर टेक्नीशियन |
| टेलीकॉम | टेक्नीशियन 5जी-एक्टिव नेटवर्क इंस्टॉलेशन; ब्रॉडबैंड टेक्नीशियन; ऑप्टिकल फाइबर टेक्नीशियन; टेलीकॉम आईओटी टेक्नीशियन |
| पर्यटन और आतिथ्य | सहायक शेफ; फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट; गेस्ट सर्विस एसोसिएट; स्ट्रीट फूड विक्रेता |

*****